13

े जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू

822101 ई-मेलः-mdm.palamau@gmail.com मेदिनीनगर-पलामू समाहरणालय परिसर (सी) ब्लॉक.

uside-245

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीकक, पलामू।

सेवा में,

प्राचार्य, सनातन विद्या निकेतन,

आनवार्य 15,02,2024 2009 गोदरमा, रेहला विश्वामपुर, पलामू। मेदिनीनगर, दिनांक- <u>!.र्.).०</u>2, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और 2011 के नियम विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र। का अधिकार नियमावली, के धारा 18 बाल शिक्षा

महोदय,

विषय:-

आपके द्वारा दिनांक । 1.06.2020 को वर्ग 01 से 08 तक के RTE के तहत मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन कार्यालय में समर्पित की गई एवं झारखण्ड सरकार के वेबसाईट https://rte.jharkhand.gov.in पर आपके द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया गया। जिसमें विद्यालय से संबंधित सम्पूर्ण डाटा इन्ट्री की गई। जिसका सत्यापन करने हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू के द्वारा तीन सदस्यीय जांच दल गटित की गई। जांच दल के द्वारा जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला प्रारंभिक शिक्षा सिमित, पलामू के द्वारा दिनांक 15.02. 2024 को बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में सनातन विद्यालय निकेतन गोदरमा रेहला विश्वामपुर, पलामू को शिक्षिणिक सत्र 2023-24 से कक्षा 01 08 तक के लिए मान्यता प्रदान करने की ससूचना दी जाती है

उपरोक्त मान्यता निक्निलिखित शर्तों के अधीन है -

- 08 के पश्चात् मान्यता/ संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है। इस मान्यता में किसी भी ऊप में कक्षा
- एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2011 के उपबंधों को पूर्णरूपेण पालन करेगा।
- 18 25 के बच्चों विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के शिक्ता, तक आस-पड़ोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। करेगा और उन्हें निःशुल्क और प्रवेश • प्रदान 8
 - आधानियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत् प्रतिपूर्तित राशि में उल्लेखित बालकों के लिए, विद्यालय को विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा। उक्त कंडिका-3
- लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक माता-विता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग हेस्ट किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से नहीं शुल्क नहीं लेगा। या उसके कैपिटेशन विद्यालय 5
 - का सबूत नहीं होने के कारण, करेगा और ऐसी रिथित में अधिनियम प्रवेश देने से इनकार की असमित का अपेश का अपेश देने से इनकार की करेगा और ऐसी धारा 15 के उपन्ती की की जातन किया जायेगा।

0

UP 3, 95 Secretary

帝 हाँ (बालक-09/ अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधाएं में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों अधिनियम, 2009 के लागू होने के समय नहीं हैं, पांच वर्ष के भीतर अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उत्लेखित अपने कर्तत्यों अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम अनुसार निःशुक्तता ग्रस्त/ विशेष आवश्यकताओं प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उसकी प्रांयभिक शिक्षा शारीरिक दण्ड या मानसिक दण्ड नहीं दिया जाएगा। पुस्तकालय नियमावली के प्रावधान के अलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। स्वयं को किसी जिजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित अपधार के अनुरूप किया जाएगा तथा जिनके पास उस निधारित न्यूनतम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम 0 तक, किसी कक्षा में अनुतीर्ण नहीं किया जायेगा 48 विद्यालय निम्नांकित बिब्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा कक्षा राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या उपस्करों/ के लिए पृथक शौचालय-प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई (निजी विद्यालय) -सह- भंडागार के लिए प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में 11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर अस्ति विद्यालय मवनों या अन्य संख्वानाओं या के प्रयोजनों के लिए खेलकूल 1.15 四部 85 डियमिल विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा। उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी। कर लेगे। वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। अधिनियम की धारा 19 30 हिसमिल और सन्नियमों को बनाएं स्खेगा। पठन सामधी/क्रीइा विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-आनित पाठ्यक्रम का पालन करेगा। -सह- कार्यालय क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल -बालक और बालिकाओं 俗 Sanatan Vidya (k.) ketali errense de de esta d का पालन करेंगे, और पेयजल खुविधा - हाँ कक्षाओं की संख्या -ऐसी ब्यूनतम अहतिएँ उपबंध कुल निर्मित क्षेत्र -किसी भी बालक को अध्यापकों की भर्ती निम्नानुसार है -बालिका-09) अधिनियम के विद्यालय के प्राध्यापक अध्यापक विद्यालय विद्यालय Godarr(K) 10. (EX) (III) 3 3 3 (E) 6 00 3 (11) 3 3 (E)

केवल

प्रयोग

部

बाहर विद्यालय के नाम से

अन्त

या संगम या किन्ही

-

के लिए किया जायेगा।

विद्यालय भवनों या अन्य संरचानाओं या क्रीड़ा-स्थल का

- लेखा विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी लेखा विवरण और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा अचित की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी। विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक 14.
- ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर 15 मान्यता संबंधी शतों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय का पालन करेगा, के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाये। प्राथमिक शिक्षा निदेशक/ जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित अनुदेशों राज्य सरकार/स्थालीय प्राधिकार के ऐसे विद्यालय 5
 - अधीन गदित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सासोईटी को सुनिश्चित किया जायेगा। सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का प्रवृत किसी के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय ड़ी, रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई विद्यालय को
 - तिड़ेत चालक होना चाहिए। चाहरदिवारी,
- व समतुल्य योग्यता के साथ दो वर्षीय डी.एल.ई.डी./समतुल्य प्रशिक्षित सरकार/एन०सी०दी०ई० द्वारा समय-समय पर निर्धारित अहता के अनुरुप प्राथमिक कक्षा के लिए ब्यूनतम है। शिक्षक होना अनिवार्स होगा। Teacher Eligibility Test अनिवार्स आर0टी0ई0 मानक के मानक प्रभावी होंगे। संबंध में राज्य 18

से 8 के शिक्षकों के लिए न्यूनतम स्नातक व समतुल्य समय-समय पर निधारित मानक अनिवार्य होगा। संबंध 分 डियी प्रशिक्षित होना अहता शिक्षक सरकार/एन०सी०टी०ई० द्वाया 10 बी 0 एड ० समतुल्य वांछित Eligibility Test कक्षा 6

- समिति का गिटित होना अनिवार्य अभिभावक प्रतिनिधि होना अनिवार्य है। आर0टी0ई0 नियमावली के अनुसार सभी विद्यालयों के लिए सात सदस्यों का एक अलग प्रबंध प्रबंध समिति में शिक्षक एवं 1.9.
 - 20. नामांकन प्रारियति

छात्र : शिक्षक अनुपात

(क) प्राथमिक विद्यालय

- से कम छात्र हो तो 30 छात्र पर एक शिक्षक यदि 120
- से कम तो कम 亿 मध्य 200 帝 एवं यदि, 121 से अधिक शिक्षक 1
- होने पर छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक छात्र संख्या 200 进 अधिक न हो। यदि 1

(ख) मध्य विद्यालय :-

वर्ग 6 से 8 तक के लिए 35 छात्र पर एक शिक्षक। 3

आपके विद्यालय को आवंदित मान्यता कोड संख्या 2024/2002/0005

Secretary May Sanatan Vidya Niketan Godarma

विश्वासभाजन

जिला शिक्षा अधीकक, भूषलामू